न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— साक्षी शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :— Reg.Cri.Case/182/2018
सी.आई.एस. नंबर :— Reg.Cri.Case/182/2018
सी एन आर नंबर :— RJBD080004552018

निर्णय दिनांकः— 27.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 86/2018 में धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर, सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **रवि कुमार** पुत्र गोबरी लाल उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 प्रताप कॉलोनी, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री खुशी मोहम्मद पठान अभियुक्त की ओर से।
अपराध की तिथि	21.02.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.02.2018
आरोप पत्र की तिथि	21.03.2018
आरोप के विरचना की तिथि	17.04.2018
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	27.09.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	27.03.2026
निर्णय की तिथि	27.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	27.03.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	रविकुमार	21.02.18 07.10.23 30.09.24	05.04.18 09.10.23 04.10.24	धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959	दोषसिद्ध	धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ व धारा 5(1) (ख) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के	दिनांक 21.02.18 से 05.04.18 (43 दिवस), 07.10.23 से 09.10.23 तक (03 दिवस) व 30.09.24 से 04.10.24 तक (4 दिवस)

						तहत 800/– रू. अभियोजन व्यय	कुल 50 दिवस **न्यायिक अभिरक्षा**

अभियोजन साक्ष्य की सूची :–

(क) अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	गुमान सिंह	ताईद फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका
अ.सा.–2	भंवर सिंह	ताईद फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका
अ.सा.–3	रामसहाय	नकल मालखाना रजिस्टर, हालात तफ्तीश
अ.सा.–4	महावीर	ताईद फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी –	–	–

(ग) न्यायालय साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

(क) अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.–1	फर्द जब्ती
2.	प्र.पी.–2	फर्द गिरफ्तारी
3.	प्र.पी.–3	चाक एफ.आई.आर.
4.	प्र.पी.–4	रोमनामचा की सत्यप्रति
5.	प्र.पी.–5	स्वतंत्र गवाह लाने हेतु दिया गया हुक्म नामा
6.	प्र.पी.–6	नक्शा मौका घटनास्थल
7.	प्र.पी.–7	असल मालखाना रजिस्टर

8.	प्र.पी.—7ए	सत्यप्रति असल मालखाना रजिस्टर
9.	प्र.पी.—8	अधिसूचना
10.	प्र.पी.—8ए	अधिसूचना की सत्यप्रति

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

— :: निर्णय ::— **दिनांक :—27.03.2026**

07 वर्ष से अधिक पुराना निर्णय

1. इस आपराधिक प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.02.2018 को श्री गुमान सिंह स.उ.नि. मय जाप्ता महावीर कानि. व भंवर सिंह कानि. मय जीप सरकारी चालक गणेश कानि. मय इनवेस्टीगेशन बॉक्स के वास्ते गश्त व मुताबिक इत्तला रपट नं. 28 समय 02:09 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर गश्त करता हुआ कोटा रोड़ की तरफ गया है। इस इत्तला पर रवाना होकर कोटा रोड़ पहुंचा आरा मशीन के सामने एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को भागने लगा, जिसके दाहिने हाथ्ज्ञ में लोहे का छुर्रा था मन् स.उ.नि. मय जाप्ता ने उक्त व्यक्ति को जाप्ते की मदद से यथा स्थिति खड़ा रहने की हिदायत दी तलाशी एवं कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह लाने के लिये श्री महावीर कानि. को भेजा गया तो आसपास सभी से पूछताछ कर वापस आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कानून पेचिदगी के कारण गवाह बनने को तैयार नहीं है। इस पर हमराह जाप्ते में से श्री भंवर सिंह कानि. व महावीर कानि. को गवाह मामूर कर रोके गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रवि कुमार होना बताया, उसके दाहिने हाथ में छुर्रे का लाईसेन्स मांगा गयवा तो नहीं होना बताया। छुर्रे को नापकर देखा तो धार की लं. 34 से.मी. तथा हत्थे की लं. 11 से.मी. चौ. 6 से.मी. है। छुर्रे की कुल लं. 45 से.मी. है उक्त वयक्ति का बिना लाईसेन्स के धारदार हथियार अपने कब्जे में रखना धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से लोहा छुर्रा को जब्त कर सील चिट किया गया। मुलजिम रवि कुमार को अदम अदखल जमानत जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया।

2. उक्त फर्द जप्ती व चैकिंग पर पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/2018 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त धारा के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को पत्रावली पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त धारा के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन एवं समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं ने कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये की प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

उक्त तर्को के विरोध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में पुराने प्रकरणों की वजह से रंजिशवंश झुठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से घटना के संबंध कोई स्वतंत्र गवाह भी न्यायालय के समक्ष परिक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे अभियोजन का प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता है। स्वयं जप्ती अधिकारी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। अंत में उपरोक्त तर्को के मध्यनजर अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

6. सुना गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.02.2018 को समय 04:00 पी.एम. या उसके लगभग स्थान कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर आरा मशीन के सामने के.पाटन पर पुलिस दल द्वारा आपको दाहिने हाथ में लोहे का छुर्रा ले जाते हुये, जिसकी धार 34 से.मी. तथा हत्थे की ल. 11 से.मी. तथा चौ. 6 से.मी. थी, छुर्रे की कुल लं. 45 से.मी. थी, को बिना लाईसेंस सार्वजनिक स्थान पर लेकर घूमते हुये पाया गया, जबकि इस क्षेत्र में बिना लाईसेंस ऐसा हथियार रखना प्रतिबंधित था? एतत्द्वारा आपने 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का समग्र विवेचन व अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धाराओं को साबित करने के लिये कुल 4 गवाह प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये हैं। प्रकरण में जप्तीकर्ता गुमान सिंह ए.एस.आई. पी.डब्लू—1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी—1 में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए दिनांक 21.02.2018 को थाने से समय 02.09 पी.एम पर मय जाप्ता महावीर कानि. व भंवर सिंह कानि. तथा सरकारी जीप चालक गणेश कानि. के साथ अनुसंधान बॉक्स सहित अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु रवाना होने और गश्त करते हुए प्रताप कॉलोनी वार्ड नं. 1 पहुंचने पर जरिये मुखबीर बताया कि एक व्यक्ति कोटा रोड़ पर छुर्रा लेकर घुमने की सूचना मिलने पर सांकेतिक स्थान से जाप्ते के गवाह महावीर व भंवर सिंह कानि. की मौजूदगी में अभियुक्त रवि कुमार से जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से एक धारदार छुर्रा उसके दाहिने हाथ से जप्त किये जाने के कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह द्वारा कथन किये गये हैं कि उसने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया। जप्तीकर्ता गुमान सिंह पी.डब्लू—1 के अलावा मौके पर मौजूद अन्य साक्षी महावीर पी.डब्लू—4 व भंवर सिंह पी.डब्लू—2 ने भी जप्तीकर्ता के कथनों के समकक्ष ही कथन करते हुए उनकी मौजूदगी में अभियुक्त रवि कुमार के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से एक धारदार छुर्रा जप्त किये जाने के कथन किये हैं।

8. प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू—1 गुमान सिंह ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 21.02.2018 को थाना के.पाटन

मे एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने पर जर्ये टेलिफोन सूचना मिली कि प्रताप कोलोनी वार्ड नम्बर 1 पर एक व्यक्ति छुर्रा लेकर घुम रहा है, जो शांति भंग कर सकता है। उक्त ईत्तिला पर वह मय जाब्त महावीर कानि, भंवर सिह कानि मय जीप सरकारी चालक गणेश कानि के मय अनुसंधान बॉक्स के मुताबिक इतलाह रपट नम्बर 28 समय 2:09 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर गस्त करते हुए प्रताप कोलेानी वार्ड नम्बर 1 पहुंचे, जहां पर मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति अभी–अभी छुर्रा हाथ मे लेकर कोटा रोड की तरफ गया है इस पर रवाना हेाकर मय जाब्ता कोटा रोड पहुंचा जहां आरामशीन के सामने एक व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर भागने लगा, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था। जिसको जाब्ते की मदद से पकडा व तलाशी की कार्यवाही हेतु महावीर कानि को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा उसने कुछ देर बाद आके बताया कि कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नही है, जिस पर जाब्ते मे से भंवर सिहं कानि व महावीर कानि को गवाह मामुर कर पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गोबरी लाल वार्ड नम्बर 1 प्रताप कोलोनी के.पाटन का होना बताया, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था। रवि कुमार से छुर्रा रखने का लाईसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताया, जिस पर छुर्रे को कब्जे पुलिस लेकर नाप किया तो छुर्रे के धारदार फल की लम्बाई 34 सेमी व हथ्ते की लम्बाई 11 सेमी व चोडाई 6 सेमी छुरे की कुल लम्बाई 45 सेमी पायी गयी। मुलजिम का कृत्य धारा 4/25 आर्मस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से छुर्रे को जब्त कर सील चिट किया व मुलजिम गिरफतार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंचकर प्रकरण संख्या 86/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान रामसहाय हेड कानि. को सुपुर्द किया। छुर्रे को जमा मालखाना करवाकर मुलजिम को बन्द हवालात किया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3, रोजनामचा की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी 4, स्वंतत्र गवाह लाने हेतु दिया गया हुक्म नामा प्रदर्श पी 5, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है, जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में इस गवाह ने कथन किये हैं कि गवाह यह गलत होना बताता है कि जो छुर्रा जब्त किया गया है, वह आसानी से बाजार में मिल जाता हो, क्योंकि छुरा मुलजिम कहीं से बनवा के लाया है। मुलजिम छुरा कहां से बनवा कर लाया है, उसे पता नहीं है, क्योंकि छुरा रखना ही दण्डनीय अपराध है। जिस मुखबीर ने सूचना दी, उसका नाम बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचना प्रकटन से संरक्षित है। गवाह यह सही होना बताता है कि उसने कोई फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी नहीं की।

9. इसी क्रम में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 की संपष्टि स्वरूप यदि प्रकरण में जब्ती के अन्य गवाहान भंवर सिंह की साक्ष्य का अवलोकन किया जोये, तो प्रकरण में जप्ती के गवाह पी.डब्लू–2 भंवर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में उक्त गवाह ने कथन करते हुए बताया है कि वह दिनांक

21.02.2018 को थाना के.पाटन मे कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन एएसआई गुमान सिंह को थाने पर जर्ये टेलिफोन सूचना मिली कि प्रताप कोलोनी वार्ड नम्बर 1 पर एक व्यक्ति छुरा लेकर घुम रहा है, जो शांति भंग कर सकता है। उक्त ईत्तिला से एएसआई साहब ने जाप्ते को अवगत कराया जिस पर एएसआई सहाब के साथ वह, महावीर कानि मय जीप सरकारी चालक गणेश कानि के मय अनुसंधान बॉक्स थाने से रवाना होकर गस्त करते हुए प्रताप कोलेानी वार्ड नम्बर 1 पहुंचे, जहां पर मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति अभी—अभी छुर्रा हाथ मे लेकर कोटा रोड की तरफ गया है। इस पर रवाना हेाकर मय जाब्ता कोटा रोड पहुंचे, जहां आरा मशीन के सामने एक व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर भागने लगा, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था, जिसको जाब्ते की मदद से पकडा व तलाशी की कार्यवाही हेतु एएसआई साहब नें महावीर कानि को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा, उसने कुछ देर बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नही है, जिस पर एएसआई साहब ने जाब्ते में से उसे व महावीर कानि. को गवाह मामुर कर पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पुछा तेा उसने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गोबरी लाल वार्ड नम्बर 1 प्रताप कोलोनी के.पाटन का होना बताया, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था। रवि कुमार से छुर्रा रखने का लाईसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताााया, जिस पर एएसआई साहब ने छुर्रे को कब्जे पुलिस लेकर नाप किया तो छुर्रे के धारदार फल की लम्बाई 34 सेमी व हत्थे की लम्बाई 11 सेमी व चोडाई 6 सेमी छुर्रे की कुल लम्बाई 45 सेमी पायी गयी। मुलजिम का कृत्य धारा 4/25 आर्मस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से एएसआई साहब ने छुर्रे को जब्त कर सील चिट किया व मुलजिम गिरफतार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी—2, घटनास्थल का नक्शा—मौका प्रदर्श पी—6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में कथन किये हैं कि मुलजिम छुरा कहा से लाया था, इस बओर में उसे पता नहीं है। गवाह यह सही होना बताता है कि ए.एस.आई. साहब ने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये।

इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा भी हैड कानि. भंवर सिंह जब्ती अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभियुक्त से जब्त की गयी कार्यवाही के संबंध में जब्ती कार्यवाही की पूरी तरह ताईद करते हुये अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है।

10. इसी क्रम में प्रकरण में जप्ती के अन्य गवाह पी.डब्लू—4 महावीर ने अपने मुख्य परीक्षण में उक्त गवाह ने कथन करते हुए बताया है कि वह दिनांक 21.02.2018 को थाना के.पाटन मे कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन एएसआई गुमान सिंह को थाने पर जर्ये टेलिफोन सूचना मिली कि प्रताप कोलोनी वार्ड नम्बर 1 पर एक व्यक्ति छुरा लेकर घुम रहा है, जो शांति भंग कर सकता है। उक्त ईत्तिला से एएसआई साहब ने जाप्ते को अवगत कराया जिस पर एएसआई सहाब के साथ वह, महावीर कानि मय जीप

सरकारी चालक गणेश कानि के मय अनुसंधान बॉक्स थाने से रवाना होकर गस्त करते हुए प्रताप कोलोनी वार्ड नम्बर 1 पहुंचे, जहां पर मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति अभी–अभी छुर्रा हाथ मे लेकर कोटा रोड की तरफ गया है। इस पर रवाना होकर मय जाब्ता कोटा रोड पहुंचे, जहां आरामशीन के सामने एक व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखकर भागने लगा, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था, जिसको जाब्ते की मदद से पकडा व तलाशी की कार्यवाही हेतु एएसआई साहब नें उसको दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा, उसने कुछ देर बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नही है, जिस पर एएसआई साहब ने जाब्ते में से उसे व भंवर सिंह कानि. को गवाह मामुर कर पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पुछा तेा उसने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गोबरी लाल वार्ड नम्बर 1 प्रताप कोलोनी के.पाटन का होना बताया, जिसके दांहिने हाथ मे एक लोहे का छुर्रा था। रवि कुमार से छुर्रा रखने का लाईसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताााया, जिस पर एएसआई साहब ने छुर्रे को कब्जे पुलिस लेकर नाप किया तो छुर्रे के धारदार फल की लम्बाई 34 सेमी व हत्थे की लम्बाई 11 सेमी व चोडाई 6 सेमी छुर्रे की कुल लम्बाई 45 सेमी पायी गयी। मुलजिम का कृत्य धारा 4/25 आर्मस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से एएसआई साहब ने छुर्रे को जब्त कर सील चिट किया व मुलजिम गिरफतार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज किया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–1, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–2, घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्श पी–6 व लिखित हुक्मनामा प्रदर्श पी.5 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में कथन किये हैं कि वक्त घटना जब्ती अधिकारी ने अभियुक्त से छुर्रा ले जाने का उद्देश्य पूछा या नहीं यह वह आज नहीं बता सकता। गवाह यह सही होना बताता है कि अभियुक्त के पास छुर्रा ही था, छुर्री नहीं थी।

11. अभियोजन की ओर से जाप्ते के समस्त गवाहान पी.डब्लू–1, 2 व 4 के थाने से समय 02.09 पी.एम पर रवाना होने के तथ्य को साबित करने के लिये नकल रोजनामचा पी.डब्लू–4 प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में अनुसंधानकर्ता रामसहाय पी.डब्लू–3 ने अपनी साक्ष्य के दौरान उक्त फर्द को शामिल किये जाने के कथन किये हैं। अनुसंधानकर्ता पी. डब्लू–3 रामसहाय से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई, जिससे गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है और नकल रोजनामचा प्रदर्श पी–4 से व जप्ती के समय मौजूद गवाह पी.डब्लू–1, 2 व 4 की समस्त परिसाक्ष्य से उक्त गवाहान का थाने से समय 02.09 पी.एम पर रवाना होने का तथ्य साबित होता है। जप्तीकर्ता पी.डब्लू–1 गुमान सिंह व के अलावा मौके पर मौजूद अन्य साक्षी पी.डब्लू–2 भंवर सिंह व पी.डब्लू–4 महावीर के प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उनकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है, जिससे उक्त गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेलायक साबित होती है और उसके आधार पर अभियुक्त रविकुमार के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 से एक धारदार छुर्रा जप्त होने का तथ्य साबित होता है।

12. प्रकरण में जाप्ते के गवाह भंवर सिंह पी.डब्लू—2 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान घटनास्थल पर स्वतंत्र गवाह नहीं बनने को तैयार होने के कथन किये गये हैं। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनने से जब्ती की कार्यवाही दूषित नहीं हो सकती। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत की गई समस्त साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त रवि कुमार के कब्जे से जाप्ते के गवाहों की मौजूदगी में जप्तीकर्ता पी.डब्लू—1 गुमान सिंह द्वारा अभियुक्त की पहनी हुई पेंट के बेल्ट में शर्ट के नीचे से एक धारदार छुर्रा जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से जप्त किये जाने के तथ्य को साबित कर पाया है।

13. पी.डब्ल्यू—3 अनुसंधान अधिकारी रामसहाय अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 21.02.2018 को थाना के.पाटन मे एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन गुमान सिंह एएसआई ने प्रकरण संख्या 86/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान उसके सुपुर्द किया था व उक्त प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का धारदार छुर्रा सील चिट को जमा मालखाना करने हेतु उसे दिया था जिसको उसने असल मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 54 दिनांक 21.02.2018 को इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—7 है जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—7ए है। दौराने अनुसंधान उसने फरियादी गुमान सिंह एएसआई की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया, जो प्रदर्श पी—6 है। बयान फरियादी गुमान सिंह एएसआई, महावीर कानि., भवरंसिंह कानि., गणेश कानि के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। मालखाना रजिस्टर व अधिसूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी—7ए व प्रदर्श पी—8ए है अनुसंधान से मुलजिम रविकुमार के विरूद्ध धारा 4/25 आमर्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिनके द्वारा न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह यह सही होना बताता है कि उसने स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये, क्योंकि कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं था। गवाह यह सही होना बताता है कि मुलजिम छुर्रा कहां से लायें इस बारे में मुलजिम से पूछताछ की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। गवाह यह गलत होना बताता है कि इस प्रकार का छुर्रा बाजार में आसानी से मिल जाता है।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश शासकीय अधिसूचना प्रदर्श पी—8 मौजूद है। धारा 4/25 आयुध अधिनियम के प्रावधानानुसार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पर लागू होगी और कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे उस सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये उस क्षेत्र में बिना अनुमति के न तो अर्जित करेगा और न ही अपने कब्जे में रखेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार धारा 4 विज्ञपित के प्रकाशित होने के तिथि से राजस्थान राज्य की सीमाओं के भीतर लागू होगी। विज्ञप्ति में प्रकाशित अनुसूची में तलवार, कटार, छुर्री,

चाकू जिसके फल की लंबाई 10.16 सेन्टीमीटर से अधिक हो, को शामिल किया गया है। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के कब्जे से धारदार छुर्रा, जिसके फल की लंबाई 34 सेमी. को कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर आरा मशीन के सामने से बरामद होना प्रमाणित होता है तथा बरामदगी स्थल अधिसूचना अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त रवि कुमार के कब्जे से एक धारदार छुर्रा बिना वैध अनुज्ञापत्र के बरामद होना संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह साबित करने में सफल रहा कि अभियुक्त रवि कुमार ने दिनांक 21.02.2018 को समय 04:00 पी.एम. या उसके लगभग स्थान कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर आरा मशीन के सामने के.पाटन पर पुलिस दल द्वारा आपको दाहिने हाथ में लोहे का छुर्रा ले जाते हुये, जिसकी धार 34 से.मी. तथा हत्थे की ल. 11 से.मी. तथा चौ. 6 से.मी. थी, छुर्रे की कुल लं. 45 से.मी. थी, को बिना लाईसेंस सार्वजनिक स्थान पर लेकर घूमते हुये पाया गया, जबकि इस क्षेत्र में बिना लाईसेंस ऐसा हथियार रखना प्रतिबंधित था। एतत्द्वारा आपने 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया। अतः अभियुक्त रामचरण को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

16. अतः **अभियुक्त रवि कुमार** पुत्र गोबरी लाल उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 प्रताप कॉलोनी, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बूंदी)

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

17. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियुक्त परिवार में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति हैं तथा अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अन्वीक्षा भी भुगती गयी है। आरोपित अपराध मुत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं है। अभियुक्त की उम्र व उस पर परिवारजन के पालन पोषण के दायित्व के मध्य नजर अभियुक्त रवि कुमार को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को के विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त रवि कुमार को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर शख्त से शख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

18. सुना गया। तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध समान प्रकृति के अपराध में दोषसिद्धी बाबत प्रमाण पत्रावली पर नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं होने एवं ना ही परिवीक्षा अधिनियम का लाभ लिये जाने के सम्बंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अभियुक्त के आचरण, उसकी अवस्था एवं समाज में उसके पुनः स्थापित होने के तथ्य पर विचार किया जाकर उसे आपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::— दण्डादेश —::

19. अतः **अभियुक्त रवि कुमार** पुत्र गोबरी लाल उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1 प्रताप कॉलोनी, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध घोषित होने पर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद दस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की समयावधि के लिए, जो इस आशय का हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दण्ड ग्रहण करेगा, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं धारा 5(1)(ख) परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में 800/—रूपये जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

20. अभियुक्त जमानत पर है, जिसके पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

21. धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभू सहित जमानत बन्ध—पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बन्ध—पत्र छह माह तक प्रवृत रहेगा।

22. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे के छुर्रे को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में विधिवत् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा छुर्रे का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बूंदी)

23. निर्णय, आदेश व दण्डादेश आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(साक्षी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बूंदी)